

समझौता वक्तव्य स्वतंत्र दत्तक कार्यक्रम

दत्तक सहमति पर हस्ताक्षर करके आप अपने बच्चे को गोद देने की सहमति व्यक्त करेंगे/करेंगी। इस सहमति का अर्थ है कि आप अपना बच्चा याचिकाकर्ता (ओं) को स्थायी रूप से अपने बच्चे की तरह पालने और रखने के लिए देने का इरादा रखते हैं। जब दत्तक याचिका स्वीकृत हो जाएगी तो आपको इस बच्चे के अभिभावक के रूप में कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

इस फॉर्म पर और दत्तक सहमति पर हस्ताक्षर करने से पहले एजेंसी अथवा कैलिफोर्निया के समाज सेवा विभाग के प्रतिनिधि से सलाह करके संलग्न वक्तव्यों को पढ़ लें।

कोई भी वक्तव्य समझ में न आए तो बेझिझक अपना सन्देश व्यक्त करें और अपनी तसल्ली भी कर लें। अपने बच्चे को दत्तक देने की सहमति देना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है। अपना निर्णय लेने से पहले आपको सभी तथ्य समझ और जान लेने चाहिए।

समझौता वक्तव्य पूरा करने संबंधी निर्देश :

समझौता वक्तव्य और दत्तक सहमति पर हस्ताक्षर करने से पहले एजेंसी के प्रतिनिधि से सलाह करके दोनों दस्तावेज अत्यन्त ध्यानपूर्वक पढ़ लें और जो भी बात समझ में न आए उसे बेझिझक पूछ लें ताकि कोई सन्देश न रहे।

1. समझौता वक्तव्य को तभी भरें जब आप अपना बच्चा गोद देने के बारे में ध्यानपूर्वक विचार कर लें और पक्का इरादा कर लें कि आप अपना बच्चा याचिकाकर्ता(ओं) को गोद देना चाहते हैं ताकि वह उसका आगे पालन-पोषण और देखरेख करे।
2. इस दस्तावेज के हर वक्तव्य को ध्यान से पढ़ें। यदि कोई भी वक्तव्य आपको समझ न आए तो एजेंसी के प्रतिनिधि से उसे स्पष्ट करने को कहें जब तक वह आपकी समझ में आ न जाए।
3. यदि आप किसी वक्तव्य को समझ लें और उस पर सहमत हों तो उस वक्तव्य की संख्या के सामने बने बॉक्स में अपनी सही कर दें।
4. यदि आप सहमत न हों, या एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट किए जाने के बावजूद कोई वक्तव्य आपकी समझ में न आए तो बॉक्स में सही न करें। अपना निर्णय लेने के वास्ते और सहायता तथा समय मांग लें।
5. यदि बॉक्सों में आपने सही कर दी है तो अंत में अपने हस्ताक्षर कर दें और नाम लिख दें।
6. पूरी हो जाने पर समझौता वक्तव्य और दत्तक सहमति पत्र की प्रति आपको मिल जाएगी।

समझौता वक्तव्य

याचिकाकर्ता (ओं) को बच्चा सौंपने वाले अभिभावक

1. मैं अपना बच्चा, _____, स्थायी रूप से
बच्चे का नाम _____ ("याचिकाकर्ता(ओं)") को दत्तक रूप
याचिकाकर्ता(ओं) का के नाम

में सौंपना चाहता/चाहती हूँ।

2. मैंने अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर याचिकाकर्ता (ओं), जो कि मेरे बच्चे के अभिभावक बनेंगे, उसके/उसकी/उनके बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करके ही उनका चुनाव किया है :

प्रथम याचिकाकर्ता :

पूरा कानूनी नाम : _____

आयु : _____ धर्म: _____ जाति और सम्प्रदाय : _____

पूर्व विवाहों की संख्या : _____ रोजगार: _____

सामान्य दैनिक गतिविधियों को सीमित करने या सामान्य अपेक्षित आयु कम करने वाली स्वास्थ्य स्थितियां :

बच्चे जो घर में नहीं रहते; इन बच्चों के लिए बाल समर्थन दायित्व; और बाल समर्थन दायित्व पूरा करने में कोई विफलता :

छोटे मोटे यातायात उल्लंघनों के अलावा किसी अपराध के कारण गिरफ्तारी होने या दोषी पाए जाने का कोई इतिहास (विवरण)

बच्चे के शोषण या उपेक्षा के कारण बच्चों को देखरेख से हटाए जाने की कोई घटना ।

दूसरा याचिकाकर्ता :

पूरा कानूनी नाम : _____

आयु : _____ धर्म: _____ जाति और सम्प्रदाय : _____

पूर्व विवाहों की संख्या : _____ रोजगार: _____

सामान्य दैनिक गतिविधियों को सीमित करने या सामान्य अपेक्षित आयु कम करने वाली स्वास्थ्य स्थितियां :

बच्चे जो घर में नहीं रहते; इन बच्चों के लिए बाल समर्थन दायित्व; और बाल समर्थन दायित्व पूरा करने में कोई विफलता :

छोटे मोटे यातायात उल्लंघनों के अलावा किसी अपराध के कारण गिरफ्तारी होने या दोषी पाए जाने का कोई इतिहास (विवरण)

बच्चे के शोषण या उपेक्षा के कारण बच्चों को देखरेख से हटाए जाने की कोई घटना ।

परिवार :

वर्तमान विवाह की अवधि : _____

सामान्य निवास स्थान या, अनुरोध हो तो, विशेष पता : _____

याचिकाकर्ता (ओं) के घर में रहने वाले अन्य बच्चे एवं व्यस्क : _____

3. मैं समझता/समझती हूँ कि मुझे स्वतंत्र दत्तक प्रक्रिया में सहायता के लिए वकील करने का अधिकार है और याचिकाकर्ता (ओं) को \$ 500 तक की लागत का भुगतान करना होगा बशर्ते कि याचिकाकर्ता और मैं वकील की फीस के लिए अधिक राशि देने पर सहमत न हो जाएं।
4. मैं समझता/समझती हूँ कि मैं अपने बच्चे को गोद देने की अपनी योजना के बारे में अन्य पेशेवर व्यक्तियों, अपने परिवारजनों और मित्रों से विचार-विमर्श कर सकता/सकती हूँ।
5. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि अपना बच्चा गोद देने का मेरा इरादा पक्का नहीं है तो एजेंसी मुझे अन्य स्थानों पर सम्पर्क करने को कह सकती है जो मुझे परिवार, स्वास्थ्य, धन और अन्य समस्याओं के निदान में मेरी सहायता कर सकते हैं।
6. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मैं दत्तक समझौते के लिए सहमत न होऊँ तो मैं दत्तक फॉर्म (एडी 20) पर सहमति देने से इंकार कर सकता/सकती हूँ या दत्तक एजेंसी को पत्र लिख सकता/सकती हूँ और दत्तक एजेंसी न्यायालय को सूचित करेगी कि मैं याचिकाकर्ता (ओं) द्वारा अपना बच्चा गोद लिए जाने पर सहमत नहीं हूँ।
7. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मैं दत्तक सहमति पर हस्ताक्षर न करूँ तो मैं अपना बच्चा वापिस किए जाने का अनुरोध कर सकता/सकती हूँ। यदि याचिकाकर्ता मेरा बच्चा वापिस नहीं लौटाते तो मैं न्यायालय से अनुरोध कर सकता/सकती हूँ कि वह मेरा बच्चा वापिस दिलाए। शायद इस काम के लिए मुझे वकील करना होगा।
8. मैं समझता/समझती हूँ कि दत्तक सहमति, या तो 30 दिन की अवधि पूरी होने पर या मेरे द्वारा सहमति निरस्त (एडी 929) करने का अधिकार छोड़ने संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पर, जो भी पहले हो, स्वतः ही अपरिवर्तनीय सहमति बन जाएगी जिसे किसी भी हालत में वापिस नहीं लिया जा सकेगा। 30 दिनों की अवधि का पहला दिन तभी होगा जब दत्तक सहमति पर हस्ताक्षर होंगे।
9. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मैं दत्तक सहमति पर हस्ताक्षर करने के बाद अपना विचार बदल लूँ तो मुझे कैलिफोर्निया के समाज सेवा विभाग को अपना निर्धारित काउंटी दत्तक एजेंसी को, जो प्रस्तावित दत्तक सहमति की पूछताछ कर रही होगी, हस्ताक्षर करके अपना लिखित अनुरोध सौंपना होगा कि मुझे मेरा बच्चा वापिस दिलाया जाए। फिर चाहे 30 दिन की अवधि पूरी होने या सहमति निरस्त करने संबंधी अपना अधिकार छोड़ने (एडी 929) पर हस्ताक्षर न भी करूँ। अवधि का पहला दिन वही माना जाएगा जिस दिन दत्तक सहमति पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
10. मैं समझता/समझती हूँ कि दत्तक सहमति अपरिवर्तनीय हो जाने के बाद मुझे बच्चा सिर्फ तभी वापिस मिल सकता है जबकि याचिकाकर्ता भी अपनी दत्तक याचिका वापिस लेने पर सहमत हों या कि जब न्यायालय दत्तक याचिका को अस्वीकार कर दे।
11. मैं समझता/समझती हूँ कि मैं तब तक अपने बच्चे के प्रति कानूनी दृष्टि से जवाबदेह हूँ जब तक कि न्यायालय दत्तक याचिका पर मंजूरी नहीं देता। यदि बच्चा दत्तक न लिया गया तो एजेंसी मुझे सूचित करेगी और अनुरोध करेगी कि मैं बच्चे के लिए कोई योजना बनाऊँ। मैं समझता/समझती हूँ कि मुझे एजेंसी को अपना पता बदलने की सूचना देते रहनी होगी।
12. मुझे याचिकाकर्ता (ओं) के बारे में तथा याचिकाकर्ता (ओं) के परिवार में अपने बच्चे की एडजस्टमेंट के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है और मैं अब दत्तक सहमति पर हस्ताक्षर कर देना चाहता/चाहती हूँ।

13. मैं समझता/समझती हूँ कि न्यायालय द्वारा दत्तक याचिका पर स्वीकृति मिल जाने के बाद मैं अपने बच्चे का/की कानूनी अभिभावक नहीं रहूंगा/रहूंगी। इसका अर्थ है कि :
- क. मैं अपने बच्चे की देखभाल के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा/रहूंगी;
- ख. याचिकाकर्ता उसके अभिभावक बन जाएंगे और वे ही मेरे बच्चे की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार होंगे; और
- ग. मुझे अपने बच्चे को रखने, उसकी नौकरी या आय पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।
- 14.. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि प्रस्तावित दत्तक प्रक्रिया की पूछताछ छानबीन करने वाली एजेंसी से भविष्य में कोई सूचना मांगूं तो वह एजेंसी मुझे मेरे बच्चे की स्थिति के बारे में सभी उपलब्ध सूचना देगी जिसमें यह जानकारी शामिल रहेगी कि दत्तक प्रक्रिया पूरी होने की अनुमानित राशि क्या थी और यदि दत्तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई या किसी कारण से रद्द हो गई तो क्या मेरे बच्चे को दत्तक कराने पर फिर विचार किया जा रहा है ?
15. मैं समझता/समझती हूँ कि न्यायालय में मेरे बच्चे की दत्तक प्रक्रिया की स्वीकृति मिलने के बाद मेरे सभी रक्त संबंधियों की विरासत के अधिकार या उत्तराधिकार भी समाप्त हो जाएंगे बशर्ते कि उन्होंने अपनी वसीयत में या न्यास में मेरे बच्चे को शामिल रखने की विशेष-व्यवस्था न कर दी हो। मेरे बच्चे को उसके दत्तक माता-पिता से कानूनी विरासत प्राप्त होगी।
16. मैं समझता/समझती हूँ कि मेरा बच्चा कानूनी रूप से दत्तक चला जाने के बाद मैं अपने बच्चे को वापिस नहीं ले सकता/सकती।
17. मैं समझता/समझती हूँ कि दत्तक एजेंसी इस दत्तक मामले की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी केवल तभी जारी करेगी जब :
- क. कानून के अनुसार सूचीबद्ध कुछ एजेंसियों का अनुरोध मिले और वह जानकारी मेरे बच्चे के लिए सहायक होगी;
- ख. मेरा बच्चा जब भी वयस्क होगा और मैंने पहचान से जुड़ी जानकारी जारी करने की सहमति वाले फॉर्मों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ताकि सम्पर्क किया जा सके;
- ग. मेरा बच्चा 21 वर्ष का हो जाए और मेरी पहचान जानना चाहे और मैंने अपनी पहचान जारी किए जाने की सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा दत्तक एजेंसी के रिकॉर्ड में मेरा ताज़ा पता मौजूद है;
- घ. मेरा बच्चा 21 वर्ष का हो जाए और लिखित में इच्छा व्यक्त करे कि मेरे पास उसका दत्तक नाम और ताज़ा पता होना चाहिए, जो एजेंसी के रिकॉर्ड में दर्ज हो, तथा मैंने यह जानकारी मांगी हो ;
- ङ. मेरा बच्चा 21 वर्ष से छोटा है और दत्तक एजेंसी को पता चला हो कि मेरी पहचान तथा दत्तक एजेंसी के रिकॉर्ड में दर्ज मेरा ताज़ा पता जारी करना कानून के अन्तर्गत उचित है।
18. मैं समझता/समझती हूँ कि मैं किसी भी समय स्वतंत्र दत्तक प्रक्रिया की पूछताछ करने वाली एजेंसी के रिकॉर्ड में अपने बारे में जानकारी जुड़वा सकता/सकती हूँ।
19. मैं समझता/समझती हूँ कि न्यायालय, किसी अनुरोध पर विचार करके, न्यायालय की दत्तक-प्रक्रिया फाइल से पहचान संबंधी जानकारी जारी कर सकता है।
20. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मैं सोचूं कि मुझे मेरा बच्चा दत्तक दिए जाने के बारे में वास्तविकता की जानकारी जानबूझ कर नहीं दी गई तो दत्तक प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद तीन वर्ष की अवधि तक न्यायालय से अपने बच्चे की दत्तक प्रक्रिया पर दी गई स्वीकृति निरस्त करने का अनुरोध कर सकता/सकती हूँ।
21. मैंने अपने बच्चे को रखने अथवा उसे दत्तक देने के बारे में पूरे ध्यान से विचार कर लिया है। मैंने निर्णय किया है कि अपना बच्चा याचिकाकर्ता (ओं) को दत्तक देना मेरे बच्चे के सर्वोच्च हित में है। मैंने समझौता वक्तव्य और दत्तक सहमति को पूरे ध्यान से पढ़ लिया है। मुझे अपना निर्णय लेने के लिए किसी अन्य सहायता अथवा और समय की ज़रूरत नहीं है। मैंने याचिकाकर्ता (ओं) द्वारा अपना बच्चा दत्तक लिए जाने पर सहमत होने का निर्णय लिया है और मैं इस सहमति पर स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के हस्ताक्षर कर रहा/रही हूँ।

मैं _____ की माता / का पिता _____
अभिभावक का नाम, बच्चे का नाम) वक्तव्यों को समझता / समझती और उनसे सहमत हूँ तथा ऊपर अपनी सही कर दी है।

दिनांक

अभिभावक के हस्ताक्षर

यदि कैलिफोर्निया में हस्ताक्षर करें तो सैक्शन 'ए' भरें :
सैक्शन ए:

मैं, _____, का अधिकृत अधिकारी
शीर्षक का नाम
_____, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का गवाह हूँ।
एजेंसी का नाम
_____, को _____
सहमत होने वाले अभिभावक का नाम दिनांक

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

कैलिफोर्निया से बाहर हस्ताक्षर करें तो सैक्शन बी भरें
सैक्शन बी :

राज्य _____ }ss.
देश _____

आज _____ दिन को _____, (वर्ष) 20_____, मेरे सामने, उपरोक्त देश और राज्य के एक नोटरी पब्लिक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए _____ को मैं जानता हूँ कि वही व्यक्ति है जिसका नाम दस्तावेज में लिखा है और मुझे सूचित किया गया कि उसने ही इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके उक्त समझौता किया है।

उसके प्रमाणस्वरूप मैंने यहां हस्ताक्षर करके अपनी सरकारी मुहर लगा दी है।

(यहाँ नोटरी मोहर लगाएं)

उपरोक्त काउंटी तथा राज्य के लिए तथा नोटरी पब्लिक

मेरा कमिशन समाप्त होता है